भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 727
दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल कनेक्शन

727. **श्रीमती शारदा अनिल पटेल:**
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत देश के ग्रामीण घरों में पेयजल की आपूर्ति हेतु प्रदान किए गए नल से जल कनेक्शनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;
(ख) क्या पांच प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल का कनेक्शन प्रदान करने का कार्य अभी शुरू किया जाना है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को नल से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने से चूकने से बचने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (घ): भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम)- हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सके।

अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 03.12.2023 तक, 10.49 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के अंतर्गत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 03.12.2023 तक, देश में 19.24

करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 13.72 करोड़ (71.32%) से अधिक परिवारों के घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना दी गई है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के अंतर्गत कार्यों की आयोजना अधिकांशत पूरी कर ली गई है और घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए लगभग सभी कार्य सौंप दिए गए हैं। दिनांक 03.12.2023 की स्थिति के अनुसार, 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, 154 जिलों, 1,569 ब्लॉकों, 95,475 ग्राम पंचायतों और 1,99,150 गांवों को 'हर घर जल' के रूप में सूचित किया गया है। इसके अलावा, आज की तारीख में, केवल 1.35 लाख परिवारों वाले 1,245 गांवों को छोड़कर देश भर के सभी गांवों को पाइप से जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) से जोड़ा गया है।

पूरे देश में जेजेएम की तेजी से आयोजना और कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य संपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा करना, आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों हेतु सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों तथा वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका और आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं तथा विद्यालयों में पाइपगत जलापूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान संबंधी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं ताकि जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

*****

अनुबंध

07.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 727 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15.08.2019 तक नल जल की आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार (एचएच)		03.12.2023 की स्थिति के अनुसार नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	% में	संख्या	% में
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.62	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	95.54	30.74	32.18	68.76	71.97
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.96	2.19	95.79
4.	असम	69.13	1.11	1.61	45.39	65.66
5.	बिहार	166.30	3.16	1.90	160.34	96.41
6.	छत्तीसगढ़	49.96	3.20	6.40	35.07	70.19
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00
8.	गोवा	2.63	1.99	75.70	2.63	100.00
9.	गुजरात	91.18	65.16	71.46	91.18	100.00
10.	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	30.41	100.00
11.	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	17.09	100.00
12.	जम्मू एवं कश्मीर	18.70	5.75	30.77	14.06	75.18
13.	झारखंड	61.78	3.45	5.59	28.53	46.18
14.	कर्नाटक	101.17	24.51	24.23	71.65	70.83
15.	केरल	70.78	16.64	23.51	36.59	51.69
16.	लद्दाख	0.42	0.01	3.37	0.37	89.10
17.	लक्षद्वीप	0.13		0.00	0.06	43.50
18.	मध्य प्रदेश	111.86	13.53	12.09	66.10	59.09
19.	महाराष्ट्र	146.73	48.44	33.01	120.21	81.92
20.	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.50	77.60
21.	मेघालय	6.52	0.05	0.70	4.24	65.01
22.	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.30	97.42
23.	नागालैंड	3.69	0.14	3.76	3.00	81.38
24.	ओडिशा	88.64	3.11	3.51	60.44	68.19
25.	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	1.15	100.00
26.	पंजाब	34.26	16.79	49.00	34.26	100.00
27.	राजस्थान	106.64	11.74	11.01	47.92	44.94
28.	सिक्किम	1.32	0.70	53.34	1.17	88.44
29.	तमिलनाडु	125.32	21.76	17.36	96.52	77.02
30.	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	53.98	100.00
31.	त्रिपुरा	7.46	0.25	3.28	5.42	72.61
32.	उत्तर प्रदेश	263.20	5.16	1.96	185.40	70.44
33.	उत्तराखंड	14.54	1.30	8.96	12.62	86.80
34.	पश्चिम बंगाल	173.98	2.15	1.23	69.31	39.84
	कुल	**19,24.13**	**3,23.63**	**16.82**	**13,72.35**	**71.32**

एचएच: परिवार   स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस